

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार— 2015

प्राथमिक डिक्की व मुकदमें इब्ताई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

गोरधन बनाम लीली वगै०

दावा बाबत :- 53, 88, 188, 92ए आर.टी.ए. 1955,

राजस्व मुकदमा नम्बर - 65/2013  
पेश करने की दिनांक - 6.5.13

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री जयप्रकाश नारायण (आर. ए. एस) - व हाजिर सुखदेव चौधरी श्री अभिभाषक मुद्दई कमलेश गुर्जर व तहसीलदार नसीराबाद अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्की दी जाती है कि :-

ग्राम राताखेडा के खाता संख्या 98/90 के ख0न0 176/797, 320, 367, 409, खाता संख्या 99/87 के ख0न0 134, 135, 136, 137, 410, 493, 175 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। शेष आराजी गै०मु० पाल व चाह होने से विभाजन के योग्य नहीं है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर समस्त सहखातेदारों की उपस्थिति में हक व हिस्सेनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।



उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक ————— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17 माह जून सन् 2015 को जारी की गयी।

मुद्दई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह सबूत  
मेहनताना वकील  
फीस कमिश्नर  
खर्चा गवाहान  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
मेहनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद